प्रतिलिपि आदेश दिनांक 28–10–15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक निग0 3303–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–8–15 पारित द्वारा तहसीलदार, सिहोरा प्रकरण कमांक 105/अ–12/2014–15.

———

1– पवन कुमार अग्रवाल
पिता श्री गोविन्द प्रसाद अग्रवाल
उम्र लगभग 52 वर्ष
2– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
पिता श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल
दोनों निवासी – खितौला बाजार,
तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) ——— आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ——— अनावेदक

———

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3303-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.10.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण सीमांकन का है जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र जिसमें उनके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 1573/1 रकबा 0.187 एवं सर्वे नंबर 1573/2 रकबा 0.187 हैक्टर का सीमांकन किए जाने का अनुरोध किया गया था, पर प्रारंभ हुआ है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि की गई है । आवेदक द्वारा निगरानी आवेदन के साथ राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन, पंचनामा, सूचनापत्र एवं नक्शे आदि की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है । प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही स्थाई चिन्ह अर्थात चांदा पत्थर से नहीं की गई वरन मेंढ़ो एवं तिगड्डा के आधार पर की गई है । जो संहिता में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । प्रकरण में जो पंचनामा है उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंचनामा की कार्यवाही तक कोई नक्शा राजस्व अधिकारियों के पास नहीं था और लोक निर्माण विभाग का कर्मचारियों से नक्शा बुलाया जाकर सीमा तय करने का उल्लेख है इससे आवेदक के इस तर्क को बल मिलता है कि पंचनामा बनाते समय सीमायें तय नहीं की गई थीं । सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार सीमांकन नेशनल हाईवे को आधार मानकर किए जाने का उल्लेख है लेकिन ऐसा किया जाना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि एक ओर रोड का माप 28.12 मीटर बताया गया है जबकि दूसरी ओर 22.03 की माप की गई है, जैसा कि प्रतिवेदन के साथ संलग्न नक्शे से स्पष्ट है । यदि नेशनल हाईवे को आधार बनाया गया था तो उसके दोनों ओर की दूरी समान करते हुए मध्य बिंदु स्थापित किया जाना चाहिए था तथा उसके पश्चात सीमांकन कार्यवाही करना चाहिए थी जो कि इस प्रकरण में नहीं की गई है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में की गई सीमांकन कार्यवाही को उचित नहीं ठहराया जा सकता है । परिणामतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण में की गई सीमांकन कार्यवाही एवं उसकी पुष्टि करने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 24-8-15 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है । सदस्य	